उत्तर प्रदेश बिक्रीकर सेवा (पदोन्नत) संघ का संविधान

1. नाम — संघ का नाम "उत्तर प्रदेश बिक्रीकर सेवा (पदोन्नत) संघ" होगा जिसे निम्नलिखित नियमावली में "संघ" कहा जायेगा। संघ का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

2. उद्देश्य — संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे—

(क) बिक्रीकर अधिकारी विभाग में नियोजित एवं बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 संवर्ग से पदोन्नत बिक्रीकर अधिकारियों, सहायक आयुक्तों, उपायुक्तों तथा अन्य उच्च अधिकारियों को संगठित और उनमें एकता स्थापित करना और सरकार का उनके हितों की ओर ध्यान दिलाना।

(ख) सदस्यों के लिये सेवा की उचित शर्तें सुनिश्चित करना।

(ग) उचित और अनुशासित ढंग से उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करना।

(घ) मान्यता प्राप्त परिसंघों, विशेष रूप से समान उद्देश्य वाले परिसंघों को सहयोग देना और उन्हें संगठित करना।

3. सदस्यों का प्रवेश — बिक्रीकर विभाग में नियोजित एवं बिक्रीकर अधिकारी श्रेणी-2 संवर्ग से पदोन्नत बिक्रीकर अधिकारी, सहायक आयुक्त, उपायुक्त तथा अन्य उच्च अधिकारी पच्चीस रुपया प्रवेश शुल्क और पांच रुपया मासिक अभिवादन देने पर संघ का सदस्य होने का हकदार होगा, बशर्ते वह संघ के ऐसे नियमों और उपविधियों का जिन्हें समय-समय पर बनाया जाये, अनुपालन करने के लिये सहमत हो।

4. जुर्माना और समपहरण — कोई सदस्य जो छः मास तक अपना मासिक अभिदान देने में विफल रहे, संघ का सदस्य नहीं रह जायेगा, किन्तु वह अपने बकाये भुगतान करने पर संघ में पुनः सम्मिलित होने का हकदार होगा।

5. प्रसुविधा — संघ का कोई सदस्य ऐसी कोई प्रसुविधा जिसे संघ अपने सदस्यों को देने का विनिश्चय करे तब तक पाने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह कम कम छः मास तक सदस्य न रहा हो और सभी देयों का भुगतान न कर दिया हो। संघ का ऐसा सदस्य, जिसके पास कोई बकाया हो, किसी प्रसुविधा का तब तक हकदार नहीं होगा तक जब कि समस्त बकाये का भुगतान न कर दिया गया हो।

6. सदस्यों का रजिस्टर — संघ अपने समस्त सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उनके नाम और कार्यस्थान और निवास स्थान आदि का विवरण दिया जायेगा। रजिस्टर किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये सुलभ होगा।

7. पदाधिकारी — संघ में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दो संयुक्त सचिव और एक कोषाध्यक्ष होंगे। सभी पदाधिकारी वार्षिक सामान्य बैठक में संघ के सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे।

8. संघ का प्रबन्ध — संघ के कार्यकलापों का संचालन कार्य समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वार्षिक सामान्य बैठक में निर्वाचित पदाधिकारी और अठारह सदस्य (बिक्रीकर अधिकारी के

Scanned by CamScanner

पदों के धारक सदस्यों में चौदह, सहायक आयुक्तों के पदों के धारक सदस्यों में से तीन तथा उपायुक्त के पदों के धारक या उससे ऊपर पदों पर कार्यरत सदस्यों में से एक) न हो जाये।

9. रिक्तियाँ और हटाया जाना — यदि कार्य समिति के पदाधिकारियों या सदस्यों में कोई रिक्ति होती है तो उसे कार्य समिति द्वारा शेष अवधि के लिये भरा जायेगा। संघ का कोई पदाधिकारी या उसके कार्य-समिति के लिये सदस्य कोई कपट करने, या संघ के हित के विरुद्ध कार्य करने के कारण सदस्यों की सामान्य बैठक द्वारा तीन चौथाई के बहुमत से हटाया जा सकता है, बशर्ते हटाये जाने वाले पदाधिकारी या सदस्यों को अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाये।

10. कार्य समिति की बैठक — कार्य समिति की बैठक वर्ष में एक या दो बार ऐसे दिनांक को और ऐसे स्थान पर जिसे महासचिव द्वारा अध्यक्ष के परामर्श से निर्धारित किया जाये, होगी। गणपूर्ति के लिए कार्य समिति के कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। स्थगित बैठक के लिये किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी। कार्य समिति की बैठक के लिये कम से कम तीन दिन की नोटिस दी जायेगी।

11. पदाधिकारियों के कर्त्तव्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष संघ और कार्य समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, समस्त कार्यवृत पर हस्ताक्षर करेगा और उसे केवल निर्णायक मत देने की अनुमति होगी। अध्यक्ष को जब कभी आवश्यक हो, कार्य समिति या संघ की विशेष बैठक बुलाने की शक्ति होगी। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को उसके कर्त्तव्य पालन में सहायता देगा और उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करेगा।

महासचिव—महासचिव संघ और कार्यसमिति की बैठकों का कार्यवृत तैयार करेगा और समस्त पत्र व्यवहार करेगा, सभी बैठकें बुलायेगा, समस्त लेखा रखेगा, संघ के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और समस्त प्राप्तियां और व्यय का सही लेखा रखेगा। वह वार्षिक तुलनपत्र तैयार करेगा जिसमें प्राप्ति और व्यय की प्रत्येक मद स्पष्ट रूप से दिखाई जायेगी।

संयुक्त सचिव—संयुक्त सचिव संघ के कार्यकलापों का संचालन करने में साधारणतया महासचिव की सहायता करेगा। वह महासचिव की अनुपस्थिति में उसके कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

कोषाध्यक्ष—कोषाध्यक्ष ऐसी समस्त धनराशि के लिये जो संघ को समय-समय पर दी जाये और उसे सम्यक रूप से बैंक में जमा करने के लिये उत्तरदायी होगा। वह कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत सभी व्यय का भुगतान करेगा।

12. सामान्य बैठक — (1) संघ की वार्षिक बैठक यथा सम्भव अप्रैल या मई मास में निम्नलिखित कार्य सम्पादन के लिये होगी :—

(क) संघ द्वारा कृत कार्य की रिपोर्ट और सम्परीक्षित लेखा विवरण को स्वीकार करना।

Scanned by CamScanner

CamScanner

(ख) कार्य-समिति के पदाधिकारी और अन्य सदस्यों का निर्वाचन करना।

(ग) ऐसे अन्य कार्य सम्पादन करना जो अध्यक्ष की अनुमति से लाये जायें।

(2) अध्यक्ष या महासचिव जब कभी आवश्यक समझें, संघ के सदस्यों की सामान्य बैठक बुला सकता है। सामान्य बैठक के लिये सदस्यों को कम से कम पन्द्रह दिन का नोटिस दी जायेगी।

(3) किसी सामान्य बैठक में गणपूर्ति के लिये कम से कम एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। स्थगित बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

13. सामान्य निधि

संघ की सामान्य निधि में अभिवादन और सरकार से दान, यदि कोई हो, होगा। संघ की समस्त धनराशि संघ के नाम किसी अनुसूचित बैंक में जमा की जायेगी। लेखा का संचालन कार्य-समिति के विनिश्चय के अनुसार किया जायेगा। चालू व्यय के लिये महासचिव या कोषाध्यक्ष अपने पास पांच सौ रुपये से अधिक नहीं रखेगा।

14. उद्देश्य जिनके लिये सामान्य निधि से व्यय किया जा सकता है

संघ की सामान्य निधि से व्यय निम्नलिखित उद्देश्यों को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा :—

(क) संघ के प्रशासन के लिये, उसके अन्तर्गत संघ की सामान्य निधि की लेखा परीक्षा भी है, व्यय का भुगतान करना।

(ख) सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए, कोई नियतकालिक पत्रिका चलाना जिसको कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से प्रकाशित किया जाये।

(ग) किसी ऐसे उद्देश्य को जिससे सरकारी कर्मचारियों को सामान्य रूप से लाभ होने की आशा हो, बढ़ाने के लिये धनराशि का भुगतान करना।

15. वार्षिक लेखा परीक्षा

संघ सक्षम लेखा परीक्षकों द्वारा अपने लेखों का वार्षिक लेखा परीक्षा कराने के लिये सम्यक् व्यवस्था करेगा और लेखा परीक्षा विवरण पत्र की एक प्रति उचित माध्यम से सरकार को इस प्रकार भेजेगा कि वह प्रतिवर्ष जुलाई के पूर्व मिल जाये।

16. लेखा बहियों का निरीक्षण

संघ की लेखा बहियाँ, संघ के किसी सदस्य के निरीक्षण के लिये सुलभ होंगी।

Scanned by CamScanner

CamScanner